न्यायालय रिक्त होने से प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत। आवेदकगण शिवराज सिंह गुर्जर एवं रामनरेश उर्फ पप्पू सिंह गुर्जर द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उप०।

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उप0।

थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक 206/17 अंतर्गत धारा—452, 323, 294, 506 एवं 34 भ0दं०सं० की कैफियत व केस डायरी प्राप्त। साथ ही इसी थाने के अपराध क्रमांक 207/17 अंतर्गत धारा—323, 294, 506 एवं 34 भा0दं०सं० की केस डायरी प्राप्त।

उल्लेखनीय है कि जमानत आवेदन क्रमांक 417/17 आवेदक शिवराज सिंह का अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—438 दं0प्र0सं0 का है तथा जमानत आवेदन क्रमांक 418/17 आवेदक रामनरेश उर्फ पप्पू सिंह गुर्जर का अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—438 दं0प्र0सं0 है। इस प्रकार दोनों आवेदकगण के दो प्रथक प्रथक जमानत आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। दोनों अग्रिम जमानत आवेदन एक ही अपराध से संबंधित होने के कारण दोनों जमानत आवेदनों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

दोनों जमानत आवेदन के साथ आवेदकगण शिवराज सिंह एवं रामनरेश उर्फ पप्पू सिंह गुर्जर के समधी पहाड सिंह के द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। शपथपत्र एवं आवेदन में यह व्यक्त किया गया है कि यह आवेदकगण के प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—438 दं0प्र0सं0 है। इस प्रकृति का अन्य कोई आवेदन इस न्यायालय, समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो प्रस्तुत किया गया है, न विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। ऐसा ही केस डायरी से भी स्पष्ट है।

आवेदकगण के अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा-438 दं0प्र0सं0 पर उभयपक्ष के तर्क सुने गए।

आवेदकगण की ओर से व्यक्त किया गया है कि आवेदकगण के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। फरियादी पक्ष ने पुलिस थाना मालनपुर से मिलकर एक झुठा प्रकरण आवेदकगण के विरुद्ध पंजीबद्ध करा दिया है, जिससे आवेदकगण का कोई संबंध एवं सरोकार नहीं है। आवेदकगण को परेशान करने के उद्देश्य से फरियादी की मां के द्वारा षडयंत्र पूर्वक पुलिस मालनपुर से मिलकर झूटा प्रकरण पंजीबद्ध कराया है। आवेदकगण के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट करने के बाद फरियादी पक्ष के द्वारा उनके भाई आदिराम की मारपीट की गई थी, जिससे आवेदकगण के भाई की फ्रेक्चर हुआ है। जिसकी उनके द्वारा रिपोर्ट की गई है और प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। आवेदकगण सीधे साधे बाल बच्चेदार मजदूर पेशा व्यक्ति होकर संभ्रान्त नागरिक है। पुलिस मालनपुर आवेदकगण को गिरफ्तार करने के लिए प्रयासरत है। यदि आवेदकगण को गिरफतार किया गया तो उनकी प्रतिष्ठा धृमिल हो जाएगी। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई है।

राज्य की ओर से दोनों अग्रिम जमानत आवेदनपत्र का ह गोर विरोध किया गया है और अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा कैफियत व केस डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 22.11.17 को फरियादी हरेन्द्र सिंह गुर्जर अपने घर जा रहा था तो रास्ते में गाय खडी थी जिसे फरियादी ने हांक कर हटा दिया था और अपने घर चला आया था इसी बात पर से करीब 12:00 बजे जब फरियादी अपनी बैठक में बैठा था तो अभियुक्तगण आए और बोले की उसने उनकी गाय को क्यों मारा तो फरियादी ने कहा कि उसने गाय को रास्ते से हटा दिया था मारा नहीं था। इसी बात पर से अभियक्तगण ने फरियादी को मां बहिन की गालियां दीं, गाली देने मना करने पर अभियुक्त शिवराज ने एक लाठी मारी जो फरियादी के बांए हाथ की बांह में लगी, मुंदी चोट आई। एक लाठी अभियुक्त प्रप्यू ने मारी जो फरियादी के बांए पैर की पिंडली में लगी जिससे चोट होकर सूजन आ गई। आवाज सूनकर चरन सिंह व रामवीर सिंह आ गए जिन्होंने बीच बचाव कराया व घटना देखी। अभियुक्तगण जाते जाते धमकी देकर गए कि आइन्दा गाय को मारा तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियदी द्वारा थाना मालनपुर पर की गई। जिस पर से पुलिस मालनपुर के द्वारा धारा-452, 323, 294, 506 एवं 34 भ0दं0सं० के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया।

अपराध क्रमांक 207 / 17 में आदिराम के द्वारा विष्णू गुर्जर, बिल्लू गुर्जर, जसरथ गुर्जर, टोला गुर्जर एवं रवि गुर्जर के विरुद्ध बंद्क के बट सरिया एवं फरसे से मारपीट किए जीने की रिपोर्ट लिखाई गई है। आवेदक का यह तर्क है कि यह घटना भी उसी दिनांक 22.11.17 की होकर उसी घटना से संबंधित है। परंत् पुलिस ने उक्त घटना को दिनांक 23.11.17 की दर्शाया है। उसी दिनांक 22.11.17 को उनके भाई आदिराम की मारपीट में अधिक चोटें आना तथा फ्रेक्चर होना बताया है। अपराध क्रमांक 207 / 17 में आदिराम की एम.एल.सी. संलग्न है, जिसमें दाहिनी भौं, दाहिनी अग्रभुजा, बाईं कोहनी, बाएं पैर, दाहिनी जांघ बाईं पीठ पेट आदि पर चोटें पाई गई हैं। परंत् हस्तगत प्रकरण में भी डिस्चार्ज टिकट एवं बेडहेड टिकट की प्रति प्राप्त होकर संलग्न की गई है, जिसके अनुसार हरेन्द्र सिंह को भी फ्रेक्चर आना पाया गया है। उक्त बाद वाली घटना 22.11.17 की है अथवा 23.11.17 की है यह गुणदोष के प्रश्न है। अपराध क्रमांक 207/17 में आदिराम का मेडीकल दिनांक 23.11.17 को शाम 06:40 बजे हुआ है, जिसमें चोटों को छ ः घंटे के भीतर की आना बताया गया है। अतः प्रथम दृष्टि में अभियोजन के अनुसार अपराध क्रमांक 207 / 17 की घटना दिनांक 23.11.17 की ही प्रकट हो रही है। अतः ऐसी स्थिति में दोनों प्रकरणों को कॅास प्रकरण नहीं माना जा सकता है। आवेदकगण में से कोई भी अपराध कमांक 207 / 17 में आहत नहीं है।

अभियोजन के अनुसार दो लोगों के द्वारा एक व्यक्ति की उसके घर में घुसकर लाठियों से मारपीट करना बताया गया है। अतः ऐसी स्थिति में मामले के उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, आवेदकगण के कृत्य तथा अपराध के स्वरूप को देखते हुए आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः दोनों अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किए जाते है।

आदेश की प्रति थाना मो की ओर केस डायरी सहित वापस भेजी जावे।

प्रकरण का नतीजा दर्ज कर प्रपत्र अभिलेखागार में भेजे जावें।

(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड

ALINA BUT A CONTROL OF THE CONTROL O